

पचा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एव उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

- मि०न०:- 14/2026
1 इन्द्रादेवी पत्नी सुभाषचन्द्र जाति जाट निवासी संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। वादीया

- बनाम्
1 गुरप्रीत सिंह पुत्र जग्गासिह } जाति छिम्पा निवासीयान 10 एसबीएन सालीवाला
2 गुरसंगीत सिंह पुत्र जग्गासिह }
3 विक्रमजीत सिंह पुत्र जग्गासिह } तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
4 दोगेन्द्र सिंह पुत्र मितासिह जाति जाट निवासी करीफतेवाला।
5 तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

डिक्री

प्रतिवादीगण
दिनांक 16/4/26

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील सुनिल शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादीया इन्द्रादेवी को प्राप्त आराजी:- चकनं० 10 एस.बी.एन के प०न० 190/207 मु० 64 किलानं० 5/1/.228, 5/2/.025 गै०मु० खाला, 6, प०न० 191/206 मु० 58 21,22, प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 है० गै०मु० खाला, 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै०मु० खाला, 3/1/.228, 3/2/.025 है० गै०मु० खाला, 8,9,10,14/.116 है० पूर्वी दिशा, 15, 16, प०न० 192/207 मु० 62 किलानं० 11,12,19,20 कुल 4.174 है०

ख. प्रतिवादी सं० 1 गुरप्रीत सिंह को प्राप्त आराजी:- चक नं० 10 एस. बी.एन के प०न० 192/207 मु० 62 किलानं० 1/1/.228, 1/2/.025 है० गै०मु० खाला, 2/1/.228, 2/2/.025 है० गै०मु० खाला, 9/.021 है० पश्चिमी दिशा, 10, प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 5/1/.228 मे से 193, 5/2/.025 है० गै०मु० खाला, 6/.126 है० पूर्वी दिशा

ग.प्रतिवादीसं० 2 गुरसंगीत सिंह को प्राप्त आराजी - चकनं० 10 एस. बी.एन के प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 6/127 है० पश्चिमी दिशा, 7/.235, 12, 13, 14/.129 है० पश्चिमी दिशा, 19/.253, 20/.126 है० दक्षिणी दिशा,

घ. प्रतिवादी सं० 3 विक्रमजीत सिंह को प्राप्त आराजी:- चकनं० 10 एसबीएन के प०न० 190/207 मु० 64 किलानं० 14, 15, 16, 17, प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 11, 20/.127 है० उत्तरी दिशा

ङ. प्रतिवादीसं० 4 दोगेन्द्र सिंह को प्राप्त आराजी:- चक नं० 10 एसबीएन के प०न० 192/207 मु० 62 किलानं० 9/.232 है०

च.चकनं० 10 एसबीएन के प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 5/1 मे से 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा पूर्व से पश्चिम तथा इसी किले में पश्चिम दिशा में 12 फुट चौड़ा 153 फुट लम्बा उत्तर से दक्षिण रास्ता कुल .035 है०, प०न० 191/207 मु० 63 किलानं० 7 में उत्तर दिशा में से पूर्व से पश्चिम की ओर 12 फुट चौड़ा रास्ता यानि.018 है० रास्ता तथा किलानं० 14 में उत्तर में पश्चिम से पूर्व की ओर 83 फुट लम्बा 8 फुट

आपका
हायक कलेक्टर
टिब्बी

चौडा यानि .006 है० रास्ता स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार वादीगण का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै0मु0 रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/4/28 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

एवं सहायक कलेक्टर टिब्बी।

पदेन सहायक टिब्बी

